कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों पर अल्पकालीन शिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किये जाने हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या–पत्रांक / 357–58 / दिनांक–11 अप्रैल 2016
प्रेस विज्ञप्ति–राष्ट्रीय सहारा 12–04–2016, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण 13–04– 2016।

शासनादेश संख्या–151 / xxiv–नवसृजित / 2015–07(2) / 14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–307 / xxiv–नवसृजित / 2015–07(02) / 14 दिनांक 08 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या–389 / xxiv–नवसृजित / 2015–07(02) / 14 दिनांक 27 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या 565 / xxiv–नवसृजित / 15–07(02) / 14 दिनांक 4 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश संख्या 240 / xxiv–नवसृजित / 2016–07(02) / 14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग नवसृजित दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण इन पदों पर छात्र हित / जनहित में नितान्त अस्थायी व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है।

(अ)– स0अ0 एल0टी0 संवर्ग–

क्र0 सं0	शाखा	विषय जिसमें पूल गठित किया जाना है
1	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत,
2	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कृर्षि, वाणिज्य।

(ब)– प्रवक्ता संवर्ग–

क्र0 सं0	शाखा	विषय जिसमें पूल गठित किया जाना है
1	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत भैतिक, रसायन, गणित, जीवविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, सैन्य विज्ञान।
2	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत भैतिक, रसायन, गणित, जीवविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य, कृर्षि।

1. जनपद पौडी गढवाल में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी, जो सहायक अध्यापक एल0टी0 हेतु उत्तराण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 यथा प्रथम

संशोधित–2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) नियमावली–2008 के प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हताधारी हों से स0अ0 एल0टी0 संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **आयु सीमा** – अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–07–2015 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
3. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
4. आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित सेवा नियमावली एवं उक्तांकित शासनादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकते हैं।
5. इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासरत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. जनपद स्तर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर चयन जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
7. विषयवार अनुमोदित सूची में से मुख्य शिक्षा अधिकारी, द्वारा मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विद्यालय में स्थानान्तरण/नियमित नियुक्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने, मातृत्व/बाल्यदेखभाल अथवा दीर्घावकाश से वापस आने से अथवा 89 दिन, जो भी पहले हो, तक अनुबन्धित किया जायेगा।
8. महिला अभ्यर्थी सामान्य शाखा एवं महिला शाखा (दोनों शाखाओं) हेतु पृथक–पृथक आवेदन कर सकती हैं, किन्तु पुरुष अभ्यर्थी मात्र सामान्य शाखा में ही आवेदन करने के पात्र होंगे। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विषयों हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों हेतु भी पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत जनपद हेतु ही आवेदन किया जायेगा।
10. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य के कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।
11. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा। तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।